भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 872
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर हवाई संपर्क और सुरक्षा संबंधी उपाय

872. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) हिमाचल प्रदेश के तीन विमानपत्तनों अर्थात् शिमला, कुल्लू (भुंतार) और कांगड़ा (गग्गल) से उड़ान प्रचालनों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा प्रचालनरत एयरलाइनों की संख्या, संभाली गई कुल उड़ानें कितनी है और इनके बार-बार रद्द किए जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तनों से नए मार्गों की पहचान की है / इन्हें प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पर्वतीय भूभाग में उतरने और उड़ान भरने से संबंधित तकनीकी चुनौतियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवहन सहायता, रनवे उन्नयन, सुरक्षा संपरीक्षा और विशेष पायलट प्रशिक्षण जैसे अवसंरचनात्मक या प्रक्रियात्मक उपायों को लागू किए जाने का ब्यौर क्या है;

(घ) क्या इन विमानपत्तनों पर पक्षियों के टकराने और इससे जुड़ी खतरे की घटनाओं ने उड़ान संचालन को प्रभावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पर्यावरण नियंत्रण, स्थानीय निकायों के साथ समन्वय और निवारक प्रणालियों की तैनाती का ब्यौर क्या है और पक्षियों के खतरे के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई संपर्क सुनिश्चित करने के लिए वायु सेवाओं, रात में उतरने की क्षमता, उन्नत एटीसी/मौसम विज्ञान सहायता और अन्य कदमों का विस्तृत ब्यौर क्या है और अन्य क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): शिमला, कुल्लू और कांगड़ा से उड़ान प्रचालन का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

अनुसूचित एयरलाइनें अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अपनी उड़ानें परिचालित करती हैं। विलंब/रद्दीकरण मुख्य रूप से विभिन्न असाधारण कारणों जैसे मौसम, तकनीकी, प्रचालनात्मक, एटीसी, रैंप, हवाईअड्डे संबंधी समस्याओं आदि से होता है जिन्हें एयरलाइन द्वारा सभी उचित उपाय किए जाने के बावजूद भी टाला नहीं जा सकता है।

एयरलाइन, बाजार की मांग, व्यावसायिक व्यवहार्यता और उनकी कंपनी नीति के आधार पर विशिष्ट मार्ग/शहर के संबंध में अपनी घरेलू उड़ान अनुसूची की योजना बनाते हैं।

(ग): हवाईअड्डे की अवसंरचना के संबंध में डीजीसीए सीएआर खंड 4, श्रृंखला बी, भाग I और सीएआर खंड 4, श्रृंखला एफ, भाग I, में निर्धारित विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन का सत्यापन करने के बाद हवाईअड्डों को एयरोड्रोम लाइसेंस जारी करता है।

पायलट प्रशिक्षण आवश्यकता के संबंध में लैंडिंग और टेकऑफ के संदर्भ में परिचालन की गंभीर प्रकृति के कारण सीएटी 'सी' हवाई क्षेत्र के रूप में पहाड़ी इलाके की पहचान की गई है। इसलिए विशेष पायलट प्रशिक्षण की आवश्यकताएं बनी हुई हैं।

परिचालन परिपत्र अर्थात ओसी2/2012 जारी किया गया है जिसके अनुसार विशेष रूप से इन हवाई क्षेत्रों के भीतर और बाहर परिचालित करने के लिए पायलटों के लिए न्यूनतम अनुभव, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और योग्यता की आवश्यकता होती है। परिचालन परिपत्र ओसी8/1995 और ओसी6/2002 में पहाड़ी इलाकों में परिचालन के लिए आवश्यकताएं भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(घ): वर्ष 2025 में कुल्लू (भुंतार) हवाईअड्डे पर उड़ान परिचालनों पर बिना कोई प्रभाव डाले पक्षी के टकराने की दो घटनाओं की रिपोर्ट की गई जबकि शिमला और कांगड़ा (गग्गल) हवाईअड्डों पर न तो पक्षी के टकराने की घटना और न ही परिचालन में किसी व्यवधान की रिपोर्ट की गई।

तथापि इन हवाईअड्डों पर उड़ान परिचालन में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने और वन्यजीवों को आकर्षित करने वाले खाद्य पदार्थों से मुक्त रखने के लिए नागरिक प्राधिकरणों/नागरिक निकायों के साथ समन्वय।

2. कचरे का निपटान और उचित अपशिष्ट प्रबंधन।

3. नागरिक निकायों के संबंधित विभागों को शामिल करते हुए हवाईअड्डे के आसपास के क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण।

4. मुख्य सचिव/आयुक्त/ जिले के प्रमुख की अध्यक्षता में एईएमसी की बैठक का संचालन और उस पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

5. प्रचालन क्षेत्र का रखरखाव।

6. वन्यजीव खतरों और इसके प्रभाव के बारे में स्थानीय समुदायों के बीच में जागरूकता फैलाना।

7. हवाईअड्डे के क्षेत्र के भीतर पक्षियों को डराने के लिए पक्षियों को डराने वालों तथा उन्हें डराने वाले उपकरणों को स्थापित करना आदि।

वायुयान नियम 1937 के नियम 91 में एयरोड्रोम संदर्भ बिंदु के 10 किमी के भीतर कचरा फेंकने और जानवरों को मारने पर रोक लगाया गया है जिसके कारण जंगली जानवर आकर्षित हो सकते हैं।

वर्ष 2017 का एयरोड्रोम सलाहकारी परिपत्र एडी एसी 06, एयरोड्रोम प्रचालक को वन्यजीव हमलों को नियंत्रित करने के लिए एयरोड्रोम में एक प्रभावी वन्यजीव नियंत्रण तंत्र को लागू करने और उसका विकास करने हेतु आदेशित करता है।

नागर विमानन आवश्यकता धारा 4 श्रृंखला बी भाग 1, एयरोड्रोम प्रचालकों को वन्यजीवों और विमानों के बीच टकराव के जोखिम को कम करने वाले उपायों को अपनाकर, वन्यजीवों द्वारा उत्पन्न विमान परिचालन संबंधी जोखिम की पहचान करने, उसका प्रबंधन करने और उसे कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आदेशित करता है।

इसके अलावा कमियों की पहचान करने और एयरोड्रोम के आसपास वन्यजीव संबंधी खतरे का प्रबंधन करने के लिए योजना का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2022 का एयरोड्रोम सलाहकारी परिपत्र एडी एसी 01 जारी किया गया है।

एयरोड्रोम प्रचालक, वन्यजीव खतरे संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करते हैं जो वन्यजीव संबंधी खतरे के प्रबंधन की योजना का हिस्सा है।

(ङ) : सुरक्षित और विश्वसनीय वायु यातायात नियंत्रण सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी प्रचालनरत हवाईअड्डों पर लाइसेंस प्राप्त वायु यातायात नियंत्रक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हवाईअड्डों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे समय-समय पर हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाता है जो भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक विचार, यातायात मांग/ऐसे हवाई अड्डों तक/से परिचलन करने के लिए एयरलाइनों की इच्छा और विमान परिचालन की संरक्षा के लिए परिचालन संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

अनुलग्नक

हिमाचल प्रदेश में उड़ान प्रचालन की मौजूदा स्थिति

हवाईअड्डा	**प्रति सप्ताह अनुसूचित विमान आवाजाही की संख्या (आगमन + प्रस्थान)**	**प्रचालनरत एयरलाइन**	**जुड़े हुए शहर**
कांगड़ा	60	इंडिगो, एलाइंस एअर, स्पाइसजेट	दिल्ली, चंडीगढ़
कुल्लू	12	एलाइंस एअर	अमृतसर, देहरादून, दिल्ली, जयपुर
शिमला	कोई निर्धारित उड़ान परिचालन नहीं है।		

*****